**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding hearing of cases by Foreigner Tribunal in Assam.

**श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार):** महोदय, मैं कोकराझार, असम के एक सीरियस एंड इम्पोर्टेंट इश्यू, डी-वोटर पर बोलना चाहता हूं । यहां सभी को पता है कि असम में एक डी-वोटर इश्यू है । वहां बहुत सारे सिटिजन्स को डी-वोटर बनाया गया है । हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके पास सिटीजनशिप के सारे डाक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको डी-वोटर बनाया गया है और जब वे ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह न्याय नहीं मिलता है । मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, आपके माध्यम से, सदन के सामने रखना चाहता हूं । पहला मामला एमएलए कांस्टीट्वेंसी बिजनी का विष्नुपुर का है ।

मधुबाला मंडल नाम की एक लड़की, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी, वह कुछ बोल नहीं सकती थी । वह तीन साल डिटेंशन कैंप में बिता कर आई है । वह इतनी गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं है। उसकी गलती यह है कि वह मधुबाला मंडल है, लेकिन मधुबाला दास के नाम पर एक केस था । लगभग चार महीने पहले मेरे अपने गांव के पीछे के गाँव डिमलापार के बिनय चांद, उसके भैया को न्याय मिला है, वह सिटिजन बन गया है, लेकिन फिर उसकी मम्मी का डी वोटर का केस आ गया । वह केस ट्रिब्यूनल में चला गया । उनकी घर की सारी प्रॉपर्टी चली गई । उसने आत्महत्या कर ली ।

तीसरा मामला कला भांगा बरपेटा रोड का है । अमृत दास डिटेंशन कैंप में तीन साल के बाद मर गया । हम उसके घर में गए थे । उसके सारे डॉक्युमेंट्स हैं । सनाउल्लाह के बारे में सभी को पता है। हम आपके जरिए सरकार से मांग करते हैं कि जितने सारे डी वोटर हैं, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एक बार सेन्ट्रल और स्टेट से रिवेरिफिकेशन किया जाए और उनको वहां से बाहर किया जाए ।...(व्यवधान)

सेकेंड पॉइंट यह है कि जिसको तीन साल बिताना पड़ा, जिसको ऐसे ही मारा गया, उसको 50 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए ।